"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 182] रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 जुलाई 2012—आषाढ़ 27, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 जुलाई, 2012 (आषाढ़ 27, 1934)

क्रमांक-10171/वि.स./विधान/2012.—**छत्तीसगढ़** विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 13 सन् 2012) जो दिनांक 18 जुलाई, 2012 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 13 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 5 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 5 की उप-धारा (2-क) में, शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर, शब्द "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

वर्तमान में, छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 5 की उप-धारा (2-क) में अधिकरण के सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष है. यह निर्णय लिया गया है कि अधिकरण के सदस्य का कार्यकाल "तीन वर्ष" से बढ़ाकर "पांच वर्ष" किया जाए, जिसके लिए अधिनियम की धारा 5 में संशोधन आवश्यक है.

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
तारीख 16 जुलाई, 2012

हेमचंद यादव
विधि और विधायी कार्य मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

विषय :—छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 5 की उपधारा (2-क) का सुसंगत उपाबंध—

* * * * * * * * * * * * * *

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि धारा 5.

"5 (2-क)— सदस्य, उस तारीख से, जिसको कि वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए, या उस समय तक के लिए, जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस हैसियत में पद धारण करेगा."

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.